

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 787]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2025 — अश्विन 14, शक 1947

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क/2486/एफ-11/02/2023/14-2.- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क. 24 सन् 1973) की धारा 43 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य की समस्त मंडी समितियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में प्रतिमाह देय राशि निम्नानुसार निर्धारित करती है :-

स.क.	मंडी समिति	कृषक कल्याण शुल्क
1.	छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त मण्डियाँ	सौ प्रतिशत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2025

क/2486/एफ-11/02/2023/14-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2486/एफ-11/02/2023/14-2, दिनांक 06-10-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 6th October 2025

NOTIFICATION

No./2486/F-11/02/2023/14-2. - In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 43 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, determines the amount payable per month by all the Mandi Samitis of the State to the Chhattisgarh State Farmer Welfare Fund, as follows :-

S. No.	Mandi Committee	Farmer Welfare Fee
1.	All Mandies of Chhattisgarh State	Hundred Percent

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS MISHRA, Deputy Secretary.